से उसे अधिक असुविधा होगी। इस प्रकार यदि सायलान के पक्ष में अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं की गई तो सायलान को अपूरणीय क्षति कारित होगी।

अतः उपर्युक्त बिंदूवार विवेचन के आधार पर हमारा यह विनम्र अभिमत है कि हस्तगत प्रकरण में मूल वाद के निस्तारण तक **गैरसायलान** को सायलान के हक-हिस्से की वादग्रस्त आराजी का रहन, बेचान व हस्तान्तरण नहीं करने तथा वर्तमान भू-अभिलेख में परिवर्तन नहीं करने हेतु पाबंद किया जाना उचित एवं आवश्यक समझते है।

-:: आदेश ::-

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में निष्कर्षतः प्रार्थना-पत्र सायलान अंतर्गत धारा 212, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 वास्ते अस्थाई निषेधाज्ञा बखूबी साबित होनें एवं सारवान होनें से स्वीकार किया जाता है। **गैरसायलान** को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द किया जाता है कि ताफैसला वाद वादग्रस्त आराजी सरहद मौजा घोडावड पटवार हल्का घोडावड तहसील जैतारण जिला ब्यावर मे वादग्रस्त आराजी खसरा संख्या 168 रकबा 21-01 बीघा किस्म चाही चारम, खसरा संख्या 169 रकबा 09-06 बीघा किस्म चाही चारम, खसरा संख्या 170 रकबा 05-12 बीघा किस्म गै.मु., खसरा संख्या 171 रकबा 0-13 किस्म गै.मु., खसरा संख्या 172 रकबा 5 बीघा किस्म चाही चारम, खसरा संख्या 173 रकबा 10-17 बीघा किस्म चाही चारम, खसरा संख्या 174 रकबा 14-14 बीघा किस्म चाही चारम, खसरा संख्या 174/1 रकबा 0-03 बीघा किस्म गै.मु., खसरा संख्या 175 रकबा 11 बीघा किस्म चाही चारम, खसरा संख्या 176 रकबा 0-10 बीघा किस्म गै.मु., खसरा संख्या 177 रकबा 0-07 बीघा किस्म चाही चारम, खसरा संख्या 178 रकबा 0-09 बीघा किस्म गै.मु., खसरा संख्या 179 रकबा 0-09 बीघा किस्म चाही चारम, खसरा संख्या 280 रकबा 0-05 बीघा किस्म गै.मु., खसरा संख्या 238 रकबा 42-12 बीघा किस्म बारानी अव्वल, खसरा संख्या 230 रकबा 4-03 बीघा किस्म बारानी अव्वल, खसरा संख्या 301 रकबा 0-06 बीघा किस्म बारानी दोयम, खसरा संख्या 413 रकबा 12-05 बीघा किस्म बारानी अव्वल, खसरा संख्या 443 रकबा 3-13 बीघा किस्म बारानी अव्वल व खसरा संख्या 444 रकबा 10-04 बीघा किस्म बारानी अव्वल में सायलान के हक-हिस्से का रहन, बेचान व हस्तान्तरण नहीं करें तथा वर्तमान भू-अभिलेख में परिवर्तन नहीं करें। पत्रावली इसी माफिक निर्णित होकर संख्या से एक कम होकर दाखिल दफ़्तर जमा हो।

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक),जैतारण
जिला-ब्यावर (राज0)

निर्णय आज दिनांक 14.01.2025 को सर-ए-इजलास सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक),जैतारण
जिला-ब्यावर (राज0)